## INSTRUCTIONS FOR PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET)

- Candidate will not be allowed for PET without producing this call letter in original.
- Indulging in any impersonation / malpractice / unfair means in the PET will disqualify the candidate and he will be debarred from all future RRC/ECoR examinations and appointment in Railways. Such candidates are also liable for prosecution under law.
- If any candidate receives more than one call letter, he/she should appear only once and submit remaining call letter(s) to PET Official.
- Candidate should report for PET well in time. Change of date, time and venue of the PET will not be permitted under any circumstances and decision of RRC/ECoR in all matters will be final and binding. No further round of PET can be held for candidates who fail to turn up on scheduled dates.
- SC/ST candidates are entitled to free rail travel on production of their call letter. However, railway passes will not be issued on duplicate/corrected call letters issued at RRC/ECoR office.
- Candidate must sign on the call letter at the appropriate space at the PET centre in presence of the PET Official only. His/her signature should be exactly same as in the application form. He/she has to affix his/her left thumb impression carefully on the attendance sheet.
- If a candidate loses original call letter, or in case of any discrepancy in the call letter regarding name, photograph or community, the candidate should come to the office of the RRC/ECoR on 17.03.08 and 18.03.08 between 10.00 hrs to 15.00 hrs for issue of duplicate/corrected call letter without fail.

Note: PET Qualifying standards as per Employment Notice no ECoR/RRC/D/06/1 dated 28.10.2006 for male and female are as follows:

_		
	Male	Should be able to: (I) run for a distance of 1500 meters in 7 minutes in one chance; and
		(II) lift and carry 35 kilograms of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance, without putting the weight down
	Female	Should be able to: (I) run for a distance of 400 meters in 4 minutes in one chance; and
		(II) lift and carry 20 kilograms of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance, without putting the weight down

Though steps will be taken to provide immediate first-aid and basic medical assistance at the PET venue, RRC/ECoR and Railway administration will not be liable / responsible for any loss / injury / damage, whether direct or consequential, suffered / incurred by any candidate while participating in the PET. Candidates are advised in their own interest, therefore, to ensure that they are physically and otherwise fit to undertake the PET and observe due care to avoid injury / damage / loss to either themselves or others during the PET.

HELPLINE: 0674-2303106 e-mail: rrcbbs@yahoo.co.in

WEBSITE: www.rrcbbs.org.in

## शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी. ई. टी.) के लिए अनुदेश

- 1- इस बुलावा पत्र को मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यूर्थियों को पी. ई. टी. में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 2- पी. ई. टी. में किसी भी प्रकार का छद्म विरूपण/अनाचार/अनुचित तरीके से संलिप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा एवं उन्हें भविष्य में होनेवाली रेलवे भर्ती कक्ष /पूर्व तट रेलवे की सभी परीक्षाओं से तथा रेलों की नियुक्ति से विवर्जित किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कानून के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है।
- 3- यदि कोई अम्यर्थी एक से अधिक बुलावा पत्र प्राप्त करता है तो उन्हें केवल एक ही बार बैठना चाहिए एवं पी. ई. टी. के पदाधिकारी को शेष बुलावा पत्र सुपुर्द कर देना चाहिए।
- 4- अम्यर्थी को चाहिए कि वे निर्धारित समय से बहुत पहले पी. ई. टी. के लिए रिपोर्ट करें। पी. ई. टी. की तारीख, समय एवं स्थल को बदलने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। रेलवे भर्ती कक्ष का निर्णय सभी मामले में अंतिम एवं वाध्यकारी होगा। निर्धारित तारीखों में उपस्थित नहीं होनेवाले अभ्यर्थियों के लिए पी. ई. टी. का अगला चरण आयोजित नहीं होगा।
- 5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी मुफ्त से रेल यात्रा के लिए अपने बुलावा पत्र प्रस्तुत करें। रेलवे भर्ती कक्ष/पू.त.रेलवे के कार्यालय से जारी दूसरी प्रति/संशोधित बुलावा पत्र पर रेलवे पास जारी नहीं किया जाएगा।
- पी. ई. टी. केन्द्र में बुलावा पत्र की सही जगह पर पी.ई.टी. पदाधिकारी के सामने अभ्यर्थी को अवश्य हस्ताक्षर करना चाहिए। उनका हस्ताक्षर आवेदन फॉर्म में किए गए हस्ताक्षर जैसा होना चाहिए। उन्हें अपने बायाँ अंगूठा निशान भी उपस्थिति शीट में ध्यान पूर्वक लगाना चाहिए।
- 7- यदि कोई अभ्यर्थी अपना मूल बुलावा पत्र खो देता है अथवा बुलावा पत्र में नाम, फोटों या वर्ग (कम्यूनिटी) संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाएगी तो उन्हें रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व तट रेलवे के कार्यालय में बुलावा पत्र की दूसरी प्रति/संशोधित पत्र जारी करवाने हेतु दिनांक 17.03.08 एवं 18.03.08 को 10.00 बजे से 15.00 बजे के बीच आना चाहिए।

नोटः रोजगार सूचना सं0 इकोआर/आर.आर.सी./डी/06/1 दिनांक—28.10.2006 के अनुसार पुरुष एवं महिला के लिए पी.ई.टी. संबंधी अर्हक मानक इस प्रकार है:

पुरुष	उन में क्षमता होनी चाहिए :
	1. एक ही मौके पर 7 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करने की।
	2. भार (वेट) को नीचे नहीं रखते हुए एक ही मौके पर 35 कि.ग्रा. भार को उठा कर एवं ढोकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करने की।
महिला	उन में क्षमता होनी चाहिए :
	1. एक ही मौके पर 4 मिनट में 400 मीटर की दूरी तय करने की।
	2. भार (वेट) को नीचे नहीं रखते हुए एक ही मौके पर 20 कि.ग्रा. भार को उठा कर एवं ढोकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करने की।

यद्यपि पी.ई.टी. स्थल पर तत्काल प्रथमोचार एवं मूलभूत मेडिकल सहायता के लिए कदम उठाई जाएगी, पी.ई.टी. में भाग लेने वक्त किसी भी अभ्यर्थी को होनेवाले किसी भी प्रकार की हानि/चोट/क्षति चाहे प्रत्यक्ष या परिणामी हो, के लिए रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व तट रेलवे एवं रेलवे प्रशासन दायी/उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित कर लें कि वे पी.ई.टी. के लिए शारीरिक रूप से एवं अन्यथा स्वस्थ हो तथा पी.ई.टी. के दौरान स्वयं को अथवा दूसरों को चोट/क्षति/हानि न पहुँचाने के लिए उचित ध्यान दें।